क्रमांक 5618-5 जी.एस.-I-74/29282

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला व हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त तथा सभी उप मण्डल अधिकारी (सिविल)

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट और सभी जिला तथा सत्र न्यायाधीश, हरियाणा।

दिनांक चण्डीगढ़ 18 दिसम्बर, 74

विषय :- निलम्बित सरकारी कर्मचारियों के मामलों के शीघ्र निपटारे बारे।

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय पर संयुक्त पंजाब सरकार के परिपत्र क्रमांक 3624-जी.एस.-61/14507 दिनांक 21-4-1961 में जारी की गई हिदायतों की ओर दिलाने तथा यह कहने का आदेश हुआ है कि इन हिदायतों अनुसार निलम्बित सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जांच आदि का कार्य 6 महीने के भीतर पूर्ण किया जाना होता है और यदि इस निर्धारित अवधि में यह कार्य पूर्ण न किया जा सके और इस समय में वृद्धि कराना अपेक्षित हो तो 3 मा सतक कार्यकारी मन्त्री तथा उसके पश्चात् 9 मास की अवधि व्यतीत होने पर केस मन्त्री परिषद् को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना होता है। यह निहित है कि इन हिदायतों का आपके विभाग द्वारा दृढ़तापूर्वक पालन किया जा रहा है। कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जिनमें कर्मचारी/अधिकारी को चौकसी विभाग के सुझाव पर सम्बन्धित विभाग निलम्बित करने के आदेश जारी करते हैं। ऐसे मामलों में यह अनुभव किया गया है कि 6 या 9 मास की अवधि के समाप्त होने पर विभाग इन केसिज को कार्यभारी मन्त्री/मन्त्री परिषद के सम्मुख प्रस्तुत नहीं करते हैं जिससे उपरोक्त हिदायतों की उल्लंघना होती है। इस बारे में हरियाणा सरकार ने विस्तारपूर्वक विचार करके यह निर्णय किया है कि ऐसे मामलों को जिनमें चौकसी विभाग के सुझाव पर कर्मचारी/अधिकारी को निलम्बित किया गया हो और उन्हें निलम्बित किये हुए 6 मास की अवधि समाप्त हो गई हो या होने वाली हो तो इस अवधि को बढ़ाने के लिये मामलों को सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा ही कार्यभारी मन्त्री/मन्त्री परिषद को प्रस्तुत करके मन्जूरी लेनी होगी। इस सम्बन्ध में जिस आधार पर बढ़ौती की जानी हो उसके बारे में अपेक्षित सूचना चौकसी विभाग से प्राप्त कर ली जाए।

2. कृपया यह हिदातें अपने अधीन सभी कर्मचारियों/अधिकारीयों के ध्यान में अनुपालना हेतु ला दें और इस पत्र की पावती भी भेजें।

भवदीय,

उप-सचिव सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ भेजी जाती है : वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा सरकार तथा हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिवों।